



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-03

{धारा 4(1)(ख)(3)}

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें
पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

1. विवाद एवं उनका निपटारा

सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्डल नियुक्ति की व्यवस्था ।

समिति/वादी द्वारा भेजे जाने वाले निम्नांकित प्रपत्र –

1. विवाद के निस्तारण या वसूली के सम्बन्ध में पूर्व में कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व साक्ष्य तथा वाद प्रस्तुत करने हेतु लिये गये निर्णय की प्रति/प्रस्ताव ।
2. प्रार्थना-पत्र ।
3. विवाद से सम्बन्धित पुष्ट साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां ।
4. लेखाशीर्षक "0425-सहकारिता-800-अन्य प्राप्तियां-06-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां" के अन्तर्गत राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में जमा वाद शुल्क (मूल्यांकित धनराशि का 1 प्रतिशत) के जमा चालान की प्रति ।

2. विवादों के निपटारा की अधिकारिता

क्र. सं.	विवाद की राशि	अधिकारिता
1	2,00,000.00 ₹0 तक	जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
2	2,00,000.00 ₹0 से 5,00,000.00 तक	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
3	5,00,000.00 ₹0 से 10,00,000.00 तक	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
4	10,00,000.00 ₹0 से 15,00,000.00 अधिक	अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
5	15,00,000.00 से अधिक	निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड

3. सहकारी समितियों एवं सहकारिताओं का निबन्धन

(अ) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत –

- निबन्धन हेतु कम से कम 10 व्यक्ति जो प्रस्तावित समिति के प्रारम्भिक सदस्य होंगे ।
- गठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0) ऑर्गनाइजर होंगे ।
- निबन्धन हेतु निबन्धन प्रार्थना-पत्र एवं उपविधियां निर्धारित शुल्क 500.00 ₹0 राजकीय कोषागार में जमा करने पर जिला सहायक निबन्धक के कार्यालय से प्राप्त होंगे ।
- प्रस्तावित समिति के सदस्यों द्वारा की गयी बैठकों की कार्यवृत्तियां ।
- निबन्धन प्रार्थना पत्र ।
- ऑर्गनाइजर/इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट ।
- प्रतिमान उपविधियों की तीन प्रतियां ।
- जिला सहकारी बैंक में जमा अंशधन की रसीद ।
- सदस्यों के फोटो एवं निवास का पहचान ।
- प्रस्तावित समिति के कार्यालय व अभिलेखों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
- निबन्धन प्रमाण-पत्र उप निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

(ब) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत :-

- सहकारिताओं के गठन/पंजीकरण हेतु कम से कम 07 व्यक्तियों अथवा 02 सहकारिताओं का होना आवश्यक है।
- सहकारिताओं के संगठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक विकास अधिकारी(सह0) ऑर्गनाइजर होंगे।
- सहकारिता के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रादि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की अनुसूची में उल्लिखित हैं।
- अधिनियम की अनुसूची (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर संगम ज्ञापन एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद की तीन-तीन प्रतिलिपियां।
- प्रार्थना-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क।
- राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम 500/ रु0 तथा अधिकतम 10,000/रु0 या साम्य पूंजी के 1 प्रतिशत के बराबर) जमा चालान की प्रति।
- सदस्यों के फोटो एवं निवास का प्रमाण-पत्र।
- सम्बन्धित तहसील के तहसील स्तर पर कार्यरत अपर जिला सहकारी अधिकारी अथवा राज्य के निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।

(स) परिवर्तित की जानी वाली सहकारिताओं का पंजीकरण:-

- अधिनियम के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अर्न्तगत पूर्व पंजीकृत सहकारी समितियों को सहकारिताओं में परिवर्तित कर पंजीकरण किये जाने की भी व्यवस्था।
- पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रपत्र निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल को भेजे जायेंगे।
- सम्बन्धित सहकारी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा अधिनियम की अनुसूची (घ) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद तीन-तीन प्रतियों में।
- निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम 500/- तथा अधिकतम 10000/रु0 या साम्य पूंजी के 1 प्रतिशत के बराबर) जमा चालान की प्रति।
- प्रस्तावित सहकारी समिति के पदाधिकारियों के फोटो एवं निवास का प्रमाण-पत्र।
- निबन्धन हेतु प्रपत्र विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह0) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायेंगे।

4. सहकारी समितियों में निर्वाचन

सहकारी समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्य-

- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने की सूचना कार्यकाल की समाप्ति के 4 माह पूर्व निबन्धक को प्रेषित करना।
- प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु समिति की सदस्यता, राजस्व क्षेत्र आदि का विवरण निबन्धक को भेजना।
- 4 माह पूर्व की सदस्यता सूची।
- निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली मतदाता सूची तैयार करना।
- निर्वाचन अधिकारी के साथ आवश्यक निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन आदि सम्पादित करना।
- समयान्तर्गत निर्वाचन परिणामों की सूचना निबन्धक को भेजना।

जिला सहायक निबन्धक तथा उप निबन्धक/निबन्धक के स्तर पर किये जाने वाले कार्य-

- निर्वाचन तिथि का निर्धारण (निबन्धक/निर्वाचन प्राधिकरण के स्तर पर)
- नियमानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण एवं उनका प्रकाशन ।
- निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करवाना ।
- निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कराना ।

निर्वाचन के स्तर

निर्वाचन का स्तर	मुख्य कार्य/प्रक्रिया
प्रारम्भिक समितियां	→ संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन → अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन → महिला अनु0जाति/जन जाति एवं पिछड़ी जाति हेतु पद आरक्षित
केन्द्रीय समिति	→ प्रारम्भिक सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची । → सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन → संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन → अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन → महिला अनु0जाति/जन जाति एवं पिछड़ी जाति हेतु पद आरक्षित
शीर्ष समितियां	→ सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची । → सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन → संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन → अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन → महिला अनु0जाति/जन जाति एवं पिछड़ी जाति हेतु पद आरक्षित

नियम संख्या 247

भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 07 अगस्त, 2021 ई0 (श्रावण 16, 1943 शक सम्वत्)

441

सम्बन्धित सहकारी समिति के वार्षिक विवरण की एक निश्चित सीमा का निर्धारण करते हुए उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के माध्यम से तथा उक्त निर्धारित सीमा से अधिक का ऑडिट "लेखा परीक्षा (वित्त)" विभाग के माध्यम से करायी जायेगी।

नियम 247 का 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 247 के उपनियम संशोधन (1) स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम

(1) यदि विवाद, सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश:-

(क) जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हों:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिविजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा:

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, क्षेत्र (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

प्रतिबंध यह भी है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक,

स्तम्भ 2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) यदि विवाद, सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश:-

(क) जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हों:

परन्तु यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिविजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, क्षेत्र (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के

सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ख) यथास्थिति मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद अधिक मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ग) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ख) यथास्थिति मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अधिक न हो:

परन्तु यह कि यदि विवाद अधिक मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ग) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त संयुक्त निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से अधिक न हो:

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक संयुक्त निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के

- (घ) यदि निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति मूल्य या दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (घ) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हों:

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ङ) यदि निर्देश धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति मूल्य या दावे की धनराशि पन्द्रह लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

नियम 273 का संशोधन

7. मूल नियमावली के स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 273 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ख) को विलोपित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

- (क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से सात वर्ष के लिये पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसने:

- (i) अध्यक्ष के मामले में 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो: और

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये अथवा 65 की आयु जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा :